न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 17/2024

उनवान

1. कंचन देवी पत्नी रमेश कीर नि0 भोई खेडा जिला चितौडगढ(राज.) ——प्रार्थी

बनाम

1. अमित कुमार पुत्र श्यामलाल खटीक नि0 दादाबाडी भीलवाडा जिला भीलवाडा।
2. दयाराम पिता चुन्नीलाल बलाई नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ।
3. रतनलाल पिता कालू लाल दरोगा नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ।
4. सरजु पत्नी कालू लाल दरोगा नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ।
5. गुलशन लखवानी पुत्र चेलाराम नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ।
6. कमला देवी पत्नी चेलाराम लखवानी नि0 4 एम 26 सी आरसीव्यास कॉलोनी भीलवाडा।
7. नीतु पत्नी गुलशन लखवानी नि0 4 एम 26 आरसीव्यास कॉलोनी भीलवाडा।
8. संगीता पत्नी मनीष लखवानी नि0 4 एम 26 आरसीव्यास कॉलोनी भीलवाडा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 03.09.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूँ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक **07.02.2024** को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम मंगरोप प0ह0 मंगरोप भू0अ0नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के आ.न. 2119 रकबा 0.1770 है0 आ.न. 2125 रकबा 0.4849है0, आ.न. 2126 रकबा 0.4299 है0, आ.न. 2127 रकबा 0.5437 है0, कुल किता 04 रकबा 1.6355 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **08.02.2024** को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा

Scanned with ACE Scanner

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम मंगरोप प0ह0 मंगरोप भू0अ0नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के आ.न. 2119 रकबा 0.1770 है0 आ.न. 2125 रकबा 0.4849है0, आ.न. 2126 रकबा 0.4299 है0, आ.न. 2127 रकबा 0.5437 है0, कुल किता 04 रकबा 1.6355 भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 700/—पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 03.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ, जिला-भीलवाड़ा

Scanned with ACE Scanner